भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3146
गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना योजना</u>

3146. श्री श्याम सिंह यादवः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में अब तक कितने सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना योजना के अंतर्गत कितने सोलर पार्क विकसित किए गए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत परियोजना डेवलपर्स को दी गई राज-सहायता और प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" योजना के तहत, दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सहित कुल 37,490 मेगावाट क्षमता के साथ 50 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इस स्वीकृति के साथ, 8521 मेगावाट की कुल क्षमता के 11 सौर पार्कों को पूरा कर दिया गया है और 4910 मेगावाट की कुल क्षमता के 8 सौर पार्कों को आंशिक रूप से पूरा कर दिया गया है। इन पार्कों में, 10,401 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) योजना के तहत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, सौर पार्क योजना के अनुसार सौर पार्कों के निर्माण के लिए 20.00 लाख रु. प्रति मेगावाट तक अथवा ग्रिड-कनेक्टिविटी लागत सहित परियोजना लागत का 30%, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है।

(ग) योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों में अन्य के साथ-साथ, विवाद रहित भूमि का अधिग्रहण, सौर परियोजनाओं और विद्युत निकासी अवसंरचना के बीच समय-सीमा में असमानता, राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा सौर टैरिफ का अनुमोदन न होने जैसी नियामक चुनौतियाँ शामिल हैं।

सरकार सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही हैं। इसके साथ ही, सौर पार्क योजना के मोड-8 के तहत, राज्य सरकारों को राज्य के बाहर निर्यात की जा रही विद्युत के लिए 0.05 रुपये प्रति यूनिट का सुविधा शुल्क प्रदान किया जाता है। सौर परियोजना विकास और पारेषण प्रणाली के बीच की समय-सीमा में असमानता को कम करने के लिए हितधारकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। टैरिफ के अनुमोदन में देरी को विनियामकों मंच के माध्यम से एसईआरसी के समक्ष उठाया जाता है।

अनुलग्नक

'सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3146 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वीकृत सौर पार्कों और चालू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

(दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	पार्कों की संख्या	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई परियोजनाएं (मेगावाट में)
1	आंध्र प्रदेश	5	4200	3050
2	छत्तीसगढ़	1	100	0
3	गुजरात	7	12150	900
4	झारखंड	3	1089	0
5	कर्नाटक	2	2500	2000
6	केरल	2	155	100
7	मध्य प्रदेश	8	4180	1000
8	महाराष्ट्र	2	750	0
9	मिजोरम	1	20	20
10	ओडिशा	3	340	0
11	राजस्थान	9	8276	3065
12	उत्तर प्रदेश	7	3730	266
कुल		50	37490	10401

*****